

राजस्व अपील सं. 2022/349 बअनवान कालुदेवी उर्फ कनिया देवी बनाम भेराराम वगेरा
 अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
 (प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
16/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट श्री विक्रमसिंह सोलंकी उपस्थित। रेस्पोंडेंट सं 1 व 2 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उप। रेस्पोंडेंट सं 3 के अधिवक्ता श्री जितेश भण्डारी उप। रेस्पोंडेंट सं 5 की ओर से पैरोकार सरकार उप।</p> <p>प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 5 परिसीमा अधिनियम एवं मूल अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पर उपस्थित वकूलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के संबंध में वकील रेस्पोंडेंट सं 2 श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि धारा 75 के तहत अपील हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुये अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जबकि हस्तगत प्रकरण की पक्षकारान मीणा जाति की होने से अनुसूचित जनजाति में शुमार है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते है। विद्वान वकील रेस्पोंडेंट सं 1 व 2 ने अपनी दलील के दौरान न्यायालय का ध्यान हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट कर दलील दी कि जब तक केन्द्र सरकार/राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन द्वारा अनुसूचित जनजाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम बाबत अधिसूचना जारी नहीं करती तब तक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होत है। जिससे उक्त अपील बाल्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। बहस के दौरान अपनी दलीलों के समर्थन में रेस्पोंडेंटस के अधिवक्ता द्वारा कानूनी दृष्टांत आरआरटी 2024(2) बाबूलाल बनाम रामसिंह में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 18 अप्रैल 2024 को पारित निर्णय की प्रति एवं आरआरडी 1988 नंदा बनाम श्रीमति बिर्धी में माननीय राजस्व मण्डल के सदस्यो द्वारा दिनांक 30 जून 1987 को पारित निर्णय की प्रति पेश की। रेस्पोंडेंटस सं 3 के अधिवक्ता श्री जितेश भण्डारी द्वारा भी इसी आशय की दलील दी गई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह सोलंकी ने बहस में रेस्पोंडेंटस के अधिवक्ता की दलीलो का खण्डन करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि अपीलार्थी ने अपनी अपील में कही पर भी स्वयं के हिन्दु होने, स्वयं के हिन्दू विधि से शासित होने एवं ना ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमों के प्रावधानों के तहत वादग्रस्त भूमि में आने वाले हिस्से को प्राप्त करने हेतु पेश की है। जिससे रेस्पोंडेंटस का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपीलांट स्व. भुदाराम उर्फ भुबा पुत्र पेमाजी मेणा की इकलौती पुत्री होने से अपीलांट की माता नाजु के देहांत के पश्चात ग्राम सेणा स्थित भूमि खसरा नंबर 76 रकबा 2.3700 हैक्टर में 1/3 हिस्सा के हक अधिकार रखती है। परंतु अपीलांट की माता नाजु के देहांत के पश्चात दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण सं 167 दिनांक 15.09.1998 से अपीलांट की माता नाजु का नाम विलोपित करते हुये काना पुत्र चमना, भेरा पुत्र पुना 1/2 व कला पुत्र वना 1/2 कोम मेणा के नाम इन्द्राज कर दिये गये जिससे ग्राम सेणा के विवादास्पद नामांतरकरण सं 167 को अपीलांट निरस्त कराने की अधिकारीणी है जिससे उक्त अपील पेश की गई है जो विधि के किसी प्रावधानों से बाधित नहीं है। विद्वान वकील अपीलांट द्वारा पुत्री को पुत्रों के समान हक अधिकार होने से अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्सा का हकदार होने से तथा अपीलाधीन नामांतरकरण दोषपूर्ण होने से निरस्त कर नये सिरे से अपीलांट के नाम 1/3 हिस्सा का नामांतरकरण दर्ज किये जाने की दलील दी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष श्री विक्रमसिंह सोलंकी ने बहस के दौरान कानूनी दृष्टांत एआईआर 2005 पेज 132 में पारित निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कर दलील दी गई कि मृतक के</p>	



3

सहायक क्लर्क एवं पदेन
 उपस्थित अधिकारी, पाली

संपत्ति में पुत्र-पुत्रीयों को समान हक/हिस्सा मिलेगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 परिसीमा अधिनियम के संबंध में दलील दी कि अपीलांट को प्रथम बार वादग्रस्त भूमि कि जमाबंदी व नामांतरकरण की प्रतियां प्राप्त करने पर दिनांक 12.09.2022 को विवादास्पद नामांतरकरण की जानकारी प्राप्त हुई जिस जानकारी के तुरंत पश्चात अपीलांट द्वारा उक्त अपील दिनांक 21.09.2022 को न्यायालय में पेश कर दी थी तथा डिले को कण्डोन किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। अतः अपील को अंदर अवधिकाल माना जाये तथा विवादास्पद नामांतरकरण सं 167 दिनांक 15.09.1998 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विवादास्पद नामांतरकरण सं. 167 दिनांक 15.09.1998 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार नाजु पत्नि भुदा की मृत्यु के पश्चात काना पुत्र चमना, भेरा पुत्र पुना 1/2 व कला पुत्र वना 1/2 कौम मेणा के नाम का नामांतरकरण दर्ज करते हुये स्वीकृत किया गया एवं नाजु पत्नि भुदा के हिस्सा 1/3 हिस्सा को विलोपित कर कला पुत्र वना में मर्ज कर दिया जो नामांतरकरण प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण है तथा नामांतरकरण बिना किसी जांच के व पंचायत प्रस्ताव के दाखिल व स्वीकृत किया जाना ज्ञात है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट को होते ही तुरंत पश्चात हस्तगत अपील न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाने से उक्त अपील को अंदर अवधि काल माना जाता है। प्रस्तुत अपील अंदर अवधिकाल होने से गुणावगुण पर प्रकरण का परिक्षण करने पर ज्ञात है कि अपीलांट स्व. भुबा पुत्र पेमा की इकलौती पुत्री है तथा वर्णित भूमि अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी माता नाजु के नाम 1/3 हिस्सा में बतौर सहखातेदारी दर्ज हुई है जिससे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत एआईआर 2005 में प्रतिपदित सिद्धांत के अनुसार अपीलांट स्व. भुदा उर्फ भुबा पुत्र पेमाराम की पुत्री होने अपनी माता नाजु के देहांत के पश्चात वादग्रस्त भूमि सेणा बाहरी क्षेत्र के खसरा नंबर 76 रकबा 2.3700 हैक्टर के हिस्सा 1/3 हिस्सा में नाजु बेवा भुदा के स्थान पर बतौर सहखातेदार दर्ज कराने की अधिकारीणी थी परंतु विवादास्पद नामांतरकरण सं 167 से अपीलांट का नाम ही दर्ज नहीं किया गया है जिससे अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम सेणा का नामांतरकरण सं 167 दिनांक 15.09.1998 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। ग्राम सेणा(बा.क्षे) स्थित भूमि खसरा नंबर 76 रकबा 2.3700 हैक्टर के संबंध में दाखिल व स्वीकृत विवादास्पद नामांतरकरण सं 167 दिनांक 15.09.1998 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतियोगण कर निर्देश दिये जाते है कि नामांतरकरण सं 167 को निरस्त करते हुये स्व भुदाराम उर्फ भुबा पुत्र पेमाराम की पत्नि नाजु के फौत होने के समय स्व. भुबा पुत्र पेमाराम के विधिक वारिसान की जांच करते हुये नये सिरे से नामांतरकरण दायर किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण सं 167 की प्रति तहसीलदार बाली को आदेश के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हों।



सहायक कलेक्टर एवं पदेन
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपस्थिति अधिकारी, बाली

21/10/24

वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पेश करने पर पत्रावली आज सुनवाई पर ली गयी। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2024 को पारित आदेश में ग्राम सैणा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 76 रकबा 2.3700 हैक्टर में नामांतरकरण संख्या 15.09.1998 को निरस्त किया है तथा अपीलांट के पिताजी स्व. भुदाराम उर्फ भुबा पुत्र पेमाजी जाति मैणा निवासी सैणा के ग्राम सैणा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 76 रकबा 2.3700 हैक्टर में पुरा हिस्सा अपीलांट के पिताजी का ही आता है परंतु श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अपीलांट को 1/3 हिस्से का ही अधिकारी बताया है, वर्णित है जबकि उपरोक्त खसरा नंबर का संपूर्ण हिस्सा आता है जिसे संशोधित किया जाना न्यायहित में है। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2024 को जारी आदेश को संशोधन किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन से जाहिर है कि ग्राम सैणा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 76 रकबा 2.3700 हैक्टर का संपूर्ण हिस्सा अपीलांट के पिताजी स्व. भुदाराम उर्फ भुबा पुत्र पेमाजी जाति मैणा निवासी सैणा का ही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर मनन के पश्चात वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर ग्राम सैणा(बा.क्षे) स्थित भूमि खसरा नंबर 76 रकबा 2.3700 हैक्टर के संबंध में दाखिल व स्वीकृत विवादास्पद नामांतरकरण सं 167 दिनांक 15.09.1998 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषण कर निर्देश दिये जाते है कि नामांतरकरण सं 167 को निरस्त करते हुये स्व. भुदाराम उर्फ भुबा पुत्र पेमाराम की पत्नि नाजु के फौत होने के समय स्व. भुबा पुत्र पेमाराम के विधिक वारिसान की जांच करते हुये नये सैरे से नामांतरकरण दायर किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली